उनवानः— छुट्टन बनाम बाबू

मु0न0:—65 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 13.06.2022

मु0न0 65 / 2022

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. छुट्टन पुत्र रेवडया
2. जगन पुत्र रेवडया

जातियान मीना निवासी नहर के नीचे का पुरा नौ विस्वा टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. बाबू पुत्र किन्दूरी
2. श्रीमन पुत्र किन्दूरी
3. जगमोहन पुत्र किन्दूरी
4. विष्णु पुत्र बाबु
5. राजेन्द्र पुत्र बाबु
6. लखन पुत्र श्रीमन
7. महेश पुत्र श्रीमन
8. हरिओम पुत्र श्रीमन

   जाति माली निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायलान
श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक 31.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख0न0 6254 / 0.04, 6265 / 7485 / 0.01, 6266 / 0.01, 7433 / 0.22 कुल किता 4 कुल रकवा 0.28 है0 मे सायलान खातेदार काश्तकार है तथा सायलान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

उक्त आराजी सायलान की कब्जे काश्त की आराजी है तथा वे ही काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से सायलान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के सायलान की आराजी पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है तथा सायलान को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है।

बॉका दिनांक 05.06.2022 का है कि सायलान अपनी आराजी मे अगली फसल के लिये साफ सफाई कर रहा था कि गैरसायलान एकराय होकर सायलान की आराजी ख0न0 7433 मे जबरदस्ती घुस आये तथा गाली गलौच करने लगे कि [illegible] सायलान द्वारा यह कहने पर कि उक्त आराजी हमे बुजुर्गो से प्राप्त हुई है। तथा [illegible] पर हम शुरू से ही काश्त करते रहे है। इस आराजी से तुम्हारा [illegible] परेशान करते हो इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि [illegible] आराजी हमारे परण मे है। इसलिये हम इस पर कब्जा करके रहेगे तथा तुमको काश्त नही करने देगे इस पर सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested

( सुनीता मीना )
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

द्वारा गणमान्य व्यक्तियो को एकत्रित करके गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी।

सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0न0 6254 / 0.04, 6265 / 7485 / 0.01, 6266 / 0.01, 7433 / 0.22 कुल किता 4 कुल रकवा 0.28 है0 मे सायलान के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे सायलान को बेदखल नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायलान खातेदार खातेदार दर्ज है, लेकिन वर्णित आराजीयात पर कब्जा गैरसायल न0 1 ता 8 का है जो दिनांक 08.07.1983 से है। गैरसायलान व उनके वारिसान ही भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का उक्त दिनांक 08.07.1983 से आज तक कोई कब्जा नही है। जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया है कि सायलान छुट्टन, जगन पुत्रान रेवडया निवासी टोडाभीम 9 बिस्वा ने सरवन, बाबू, पुत्रान किन्दूरी जाति माली निवासी ताताकुआ टोडाभीम को जरिये 10 रू0 के स्टाम्प पर 7750 रूपये मे खातेदारी जमीन एक बीधा 6 बिस्वा को विक्रय की है, जिसकी सीमाए इकरारनामा मे दर्शायी गई है। उक्त लिखापढी के समय पर ही गैरसायलान को कब्जा संभला दिया उसी समय से आज तक उक्त भूमि पर गैरसायलान ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त इकरारनामे पर जगन के हस्ताक्षर है व छुट्टन की अगूठा निशानी हे व गवाह मे रत्तीराम, रामस्वरूप , प्रभूदयाल, नानगा, मिश्रीलाल की अगूठानिशानी से साबित है। अब वर्तमान मे वर्णित आराजीयात की कीमत होने के कारण सायलान के मन मे बदयान्ति आ गई है। इस कारण सायलान ने गैरसायलान के विरूद्व मनगढंत कहानी बनाकर वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि गलत है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायलान खातेदार काश्तकार है तथा सायलान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से सायलान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के सायलान की आराजी पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है, सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजीयात मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे सायलान खातेदार खातेदार दर्ज है, लेकिन वर्णित आराजीयात पर कब्जा गैरसायल न0 1 ता 8 का है जो दिनांक 08.07.1983 से है। गैरसायलान व उनके वारिसान ही भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का उक्त दिनांक 08.07.1983 से आज तक कोई कब्जा नही है, सायलान छुट्टन, जगन पुत्रान रेवडया निवासी टोडाभीम 9 बिस्वा ने सरवन, बाबू, पुत्रान किन्दूरी जाति माली निवासी ताताकुआ टोडाभीम को जरिये 10 रू0 के स्टाम्प पर 7750 रूपये

मे खातेदारी जमीन 1 बीधा 6 बिस्वा को विकय की है, जिसकी लिखापढी के समय पर ही गैरसायलान को कब्जा संभला दिया उसी समय से आज तक उक्त भूमि पर गैरसायलान ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त इकरारनामे पर जगन के हस्ताक्षर है व छुट्टन की अगूठा निशानी है। अब वर्तमान मे वर्णित आराजीयात की कीमत होने के कारण सायलान के मन मे बदयान्ति आ गई है। इस कारण सायलान ने गैरसायलान के विरूद्व मनगढंत कहानी बनाकर वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि गलत है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 133 मे कुल किता 4 कुल रकवा 0.28 है0 मे सायलान 1/2—1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान ने गैरसायलान के बजुर्गान से वर्णित आराजीयात पर ऋण लिया गया है जिसका गैरसायलान ने स्टाम्प पेश किया है। जिससे साबित है कि वर्णित आराजीयात पर सायलान का कब्जा काश्त नही है, एवं सायलान ने कब्जे काश्त के संबध मे किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है, नाही ऋण चुकता का कोई सबूत पेश नही किया है। उभयपक्ष वकील की बहस व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो के आधार पर पृथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

( सुनीता मीना )
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:15 IST
Reason: SelfAttested